न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी एल0आर0गुगरवाल (आर0ए0एस0)
प्रकरण संख्या 26/2017 खाद्य सुरक्षा
उनवान प्रकरण

सरकार जरिये संजय सिंह खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भीलवाडा – प्रार्थी	बनाम	1. श्री गिरीश कृपलानी पुत्र रमेश कृपलानी विक्रेता/मालिक, मैसर्स प्राची ऐजेन्सी, दुकान संख्या जी–6, इन्द्रा मार्केट, भीलवाडा (राज.) स्थाई पता : म0सं0 बी/328, हेमू कॉलोनी के पास, सिन्धुनगर, भीलवाडा —विपक्षी

जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) एवं दण्डनीय धारा 51

उपस्थित–
1 श्री संजय सिह खाद्य सुरक्षा अधिकारी भीलवाडा
2 विपक्षी स्वयं उपस्थित

दिनांक 21.06.2017

आदेश

शासन उप सचिव कार्मिक विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी अधिसूचना कमांक प–1(2)कार्मिक/क–4/08 दिनांक 05.04.2012 के द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उप धारा 1 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये जिलों में कार्यरत अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उनके अधीनस्थ कार्य क्षैत्र के लिये न्याय निर्णयन अधिकारी नियुक्त किये जाने के फलस्वरूप खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाडा ने विपक्षी के विरूद्ध एक प्रकरण इस आशय का प्रस्तुत किया है कि विपक्षी श्री गिरीश कृपलानी पुत्र रमेश कृपलानी विकेता/मालिक मैसर्स प्राची ऐजेन्सी, दुकान संख्या जी–6, इन्द्रा मार्केट, भीलवाडा पर निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विकय बाबत् घी, सरसों तेल, मूंगफली तेल, इत्यादि का विकय कर रहा था। मैसर्स प्राची ऐजेन्सी, दुकान संख्या जी–6, इन्द्रा मार्केट, भीलवाडा का निरीक्षण करने पर पाया गया कि विकेता की दूकान पर अन्य खाद्य सामग्री के साथ सरसों का तेल (ब्राण्ड – पिंकसिटी एगमार्क ग्रेड I) के 500–500 एमएल के 4 कार्टून पैक अवस्था मे रखे हुये थे। प्रत्येक कार्टून में 30 बोतलें रखी हुई थी। एक बोतल को ध्यान से देखने पर Brand – Musterd Oil. Pink City, Batch No. B.03, Pkd. 02-06-2016 Net Wt. 500Ml, BEST BEFOR 12 MONTH FROM PKG. Mfg&Pkd. By PINKCITY OIL Product Pvt. Ltd. Plot No. E-760, Road No. 9F-1,V.k.I. Area Jaipur -13 इत्यादि अंकित था। मौके पर रखे सरसों का तेल (ब्राण्ड – पिंकसिटी एगमार्क) में मिलावट एवं मिसब्राण्ड का शक होने पर एफएसएस एक्ट 2006 के तहत

उल्लेखित प्रावधानों के अंतर्गत खाद्य नमूना वास्ते जाँच हेतु लेने की सूचना खाद्य कारोबारकर्ता को फार्म V-A में दी एवं रसीद प्राप्त की। नियमानुसार सरसों का तेल (ब्राण्ड – पिंकसिटी एगमार्क ग्रेड I) के नमूना लेकर वास्ते जाँच हेतु नियमानुसार खाद्य प्रयोगशाला अजमेर को भिजवाया । बाद जाँच नमूना सबस्टेण्डर्ड होना पाया गया। विपक्षी को लिये गये नमूना का क्रय बिल एवं खाद्य लाईसेंस की प्रति प्रस्तुत करने बाबत पत्र प्रेषित किया गया। पत्र के प्रति उत्तर मे विपक्षी द्वारा अवगत कराया गया की उनके द्वारा लिये गये खाद्य नमूनें का क्रय फेरी विक्रेता से किया गया है एवं उनके पास क्रय बिल नहीं हैं। विक्रेता द्वारा टीन नं. की प्रमाणित छायाप्रति उपलब्ध कराई गई। विपक्षी के विरूद्व न्याय निर्णयन आवेदन पेश करने हेतु प्राधिकृत करने हेतु स्वीकृति प्राप्त कर प्रार्थी द्वारा न्याय निर्णयन आवेदन प्रस्तुत किया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने आवेदन पत्र के साथ न्याय निर्णयन आवेदन, गजट नोटिफिकेशन की प्रति, कार्य क्षैत्र नोटिफिकेशन की प्रति, पदस्थापन आदेश की प्रति, फार्म **5-A** की प्रति,रसीद नमूना खरीद मूलप्रति, मौका फर्द प्रति, खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला अजमेर को वास्ते जाँच जमा करवाने के प्रेषित पत्र एवं नमूना जमा होने की प्राप्ति रसीदे, फॉर्म–6 मेमोरेण्डम, खाद्य विश्लेषक अजमेर द्वारा प्राप्त नमूना जाँच रिपोर्ट मय कार्यालय पत्र, क्रय बिल के संदर्भ में किये गये पत्राचार की प्रतियां एवं अभिहित अधिकारी को पत्रावली पेश करने तथा आवेदन फाईल करने बाबत लिखे गये पत्र की प्रति प्रस्तुत की गई।

न्यायालय में प्रस्तुत प्रकरण अनुसार आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 21/07/2016 को समय 12:10 PM बजे बाहैसियत खाद्य सुरक्षा अधिकारी दौराने गश्त चैकिंग हेतु मैसर्स प्राची ऐजेन्सी, दुकान संख्या जी–6, इन्द्रा मार्केट, भीलवाडा (राज.) पर पहुंचा। मैंने विक्रेता को परिचय दिया, परिचय पत्र दिखाया एवं विक्रेता का परिचय लिया इस समय दुकान पर खाद्य विक्रेता/मालिक की हैसियत से श्री गिरीश कृपलानी पुत्र रमेश कृपलानी, विक्रेता/मालिक, उम्र– 31 वर्ष, जाति– सिंधी, निवासी– म0सं0 बी/328, हेमू कॉलोनी के पास, सिन्धुनगर, भीलवाड़ा उपस्थित था एवं आम जनता को उपयोग हेतु घी, सरसों तेल, मूंगफली तेल, आदि आम जनता को विक्रय कर रहा था। मौके पर विक्रेता/मालिक से वर्ष 2016 का खाद्य अनुज्ञा पत्र मांगा गया। मौके पर विक्रेता द्वारा खाद्य लाईसेंस नही होना बताया गया एवं स्वयं के पहचान स्वरूप ड्राईविंग लाईसेंस एवं पेन कार्ड की प्रमाणित छायाप्रति प्रस्तुत की। मैसर्स प्राची ऐजेन्सी, दुकान संख्या जी–6, इन्द्रा मार्केट, भीलवाडा के मालिक/ विक्रेता एवं गवाहों की उपस्थिति में निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय हेतु सरसों का तेल (ब्राण्ड – पिंकसिटी एगमार्क ग्रेड I) के 500–500 एमएल के 4 कार्टून पैक अवस्था में रखे हुये थे। प्रत्येक कार्टून में 30 बोतलें रखी हुई थी। एक बोतल को ध्यान से देखने पर Brand – Musterd Oil. Pink City, Batch No. B.03, Pkd. 02-06-2016 Net Wt. 500Ml, BEST BEFOR 12 MONTH FROM PKG. Mfg&Pkd. By PINKCITY OIL Product Pvt. Ltd. Plot No. E-760, Road No. 9F-1,V.k.l. Area Jaipur -13 इत्यादि अंकित था। मौके पर रखे सरसों का तेल (ब्राण्ड – पिंकसिटी एगमार्क) में मिलावट एवं मिसब्राण्ड का शक होने पर एफएसएस एक्ट 2006 के तहत उल्लेखित प्रावधानों के अंतर्गत खाद्य नमूना वास्ते जाँच हेतु लेने की सूचना खाद्य कारोबारकर्ता को फार्म V-A में दी एवं रसीद प्राप्त की।

मौके पर गवाहों एवं विक्रेता की उपस्थिति मे सरसों का तेल (ब्राण्ड – पिंकसिटी एगमार्क) Batch No. B.03 की 4 बोतले पैक्ड हालत में खाद्य कारोबारकर्ता से खरीदे एवं इस बाबत् 160/– रू अक्षरे एक सौ साठ रूपयें मात्र नकद देकर रसीद प्राप्त की ।

इन खरीदशुदा चारों नमूना भागों के लिए लेबल नियमानुसार भर कर, उन पर श्रीमान् अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) के कोड एवं क्रमांक एक्स–147 दर्ज कर विक्रेता, गवाहन के हस्ताक्षर करवाकर व मैनें स्वयं ने हस्ताक्षर कर प्रत्येक नमूना भाग पर चिपकाये। प्रत्येक नमूना भाग को अलग–अलग मोटे खाकी कागज में लपेट कर एवं किनारों को सफाई से मोड़कर गोंद से चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग पर पेपर स्लिप कोड एवं सीरीयल नं. एक्स–147 जो श्रीमान् अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मु. चि. एवं स्वा. अधिकारी भीलवाडा डॉ. जगदीश चन्द्र जीनगर द्वारा हस्ताक्षरित थी, जो कि मेरे पास उपलब्ध थी, को चारों नमूना भागों पर सिर से लेकर पेंदे तक एवं पेंदे से सिर तक लगातार नियमानुसार गोंद से चिपकाकर मोटे मजबूत धागे से बांधकर नियमानुसार 4–4 जगह उपर नीचे एवं दोनों साइडों पर सील चपडी किया नमूना भागों पर नमूने का विवरण अंकित कर मैनें व गवाहों ने हस्ताक्षर किये। प्रत्येक सील्ड नमूना भागों पर विक्रेता श्री गिरीश कृपलानी पुत्र रमेश कृपलानी के हस्ताक्षर इस तरह करवाये कि आधे हस्ताक्षर पेपर स्लीप पर व आधे खाकी कागज पर आ गये। चारों सील्ड नमूना भागों को अपने कब्जे में लिया। मौका फर्द तैयार कर पढकर, पढाकर, समझाकर, होशोहवास में हस्ताक्षर करने को कहा गया जिसे सभी ने सत्य मानकर हस्ताक्षर किये सभी कार्यवाही गवाहों व विक्रेता के सामने पूर्ण की गई। जिस सील से नमूना भागों कों सील चपडी किया था उसका मोनोग्राम मोके पर पंचनामें पर अंकित किया गया। साथ ही मेरे द्वारा मौके पर गवाहों की उपस्थिति में विक्रेता को लिए गये नमूने की जाँच एक्रीकेटेड लेब में करवाने की सूचना भी दे दी गई थी। नियमानुसार मोका फर्द तैयार कि गई। लिये गये खाद्य नमूना संख्या एक्स 147 को खाद्य प्रयोगशाला अजमेर भिजवाया गया। शेष बचे भागों को नियमानुसार अभिहित अधिकारी को जमा करावाया गया।

न्याय निर्णयन आवेदनकर्ता द्वारा विपक्षी को लिये गये नमूनें का कय बिल प्रस्तुत करने बाबत रजिस्ट्रर्ड पत्र प्रेषित किया गया। पत्र के प्रति उत्तर मे विपक्षी ने लिये गये खाद्य नमूने का कय फेरी विक्रेता से करना बताया एवं कय बिल नहीं होना अवगत कराया। खाद्य प्रयोगशाला अजमेर से जाँच रिर्पोट सं. L.S. 422/ACT/2016/472 दिनांक 04/08/2016 के अनुसार विक्रेता से वास्ते जाँच हेतु लिया गया खाद्य नमूना, सरसों का तेल (ब्राण्ड – पिंकसिटी एगमार्क) निर्धारित मानक कोटि का नही होने के कारण सबस्टेण्डर्ड (Substandard) होना पाया गया। अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाडा द्वारा विपक्षी को नियमानुसार प्राप्त जाँच रिपोर्ट रजिस्ट्रर्ड पत्रांक द्वारा भिजवाई गई। न्याय निर्णयन आवदेन पेश करने हेतु प्राधिकृत करने बाबत अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाडा को में पेश किया।

जिस पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाडा द्वारा प्रार्थी को अधिकृत किया और आदेश दिया कि इस प्रकरण से सम्बन्धित मूल कागजात एवं सम्बन्धित कारोबारकर्ता को नियम 2.4.6(1) के तहत प्रस्तुत रजिस्टर्ड पत्र एवं रजिस्टर्ड डाक की पोस्टल रसीद भी मूल प्रति सहित न्याय निर्णयन आवेदन के साथ प्रस्तुत कर अंकित किया है कि विपक्षी श्री गिरीश कृपलानी पुत्र श्री रमेश कृपलानी विक्रेता/मालिक मैसर्स प्राची ऐजेन्सी, दुकान संख्या जी–6, इन्द्रा मार्केट,, भीलवाडा द्वारा सबस्टेण्डर्ड (Substandard) सरसों का तेल (ब्राण्ड – पिंकसिटी एगमार्क) का विक्रय कर एफएसएस की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) का उल्लघंन किया है। जिसका जुर्माना एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 51 में निर्धारित है। खाद्य नमूना निर्धारित मानक कोटि का नही होने के कारण इस पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य

चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाडा के पत्र द्वारा प्रार्थी को न्याय निर्णयन अधिकारी को आवेदन प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किया। इस आधार पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने इस न्यायालय में 24.04.2017 को प्रकरण प्रस्तुत किया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी से प्रकरण प्राप्त होने पर दिनांक 24.04.2017 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को विधिवत नोटिस जारी कर अपना पक्ष दिनांक 31.05.2017 को कार्यालय हाजा में स्वंय या उनके प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत करने हेतु पाबन्द किया गया। मामले में आज विभागीय पैरोकार एवं विपक्षी स्वयं उपस्थित ।

विभागीय पैरोकार ने अपनी बहस में बताया कि विपक्षी से लिया गया खाद्य नमूना सरसों का तेल (ब्राण्ड – पिंकसिटी एगमार्क) निर्धारित मानक कोटि का नहीं होने के कारण सबस्टेण्डर्ड होना पाया गया हैं। प्राप्त जाँच रिपोर्ट के अनुसार पाया गया कि सरसों का तेल (ब्राण्ड – पिंकसिटी एगमार्क) मे Saponification Value जिसकी निर्धारित मात्रा 168 से 177 तक होनी चाहिए, उसके स्थान पर 180.82 पाई गई। इसलिए लिया गया नमूना सरसों का तेल (ब्राण्ड – पिंकसिटी एगमार्क) सबस्टेण्डर्ड होना पाया गया। इस प्रकार विपक्षी द्वारा सबस्टेण्डर्ड सरसों का तेल (ब्राण्ड – पिंकसिटी एगमार्क) को विक्रय कर एफएसएस की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) का उल्लघंन किया है। जिसका जुर्माना एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 51 में निर्धारित है। प्रार्थी की ओर से न्याय निर्णयन आवेदन पत्र विपक्षी के विरूद्ध जुर्माना आरोपित करते हुये आवेदन पत्र का निर्णय कराने की प्रार्थना की है। खाद्य प्रयोगशाला अजमेर से प्राप्त जाँच रिपोर्ट को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाडा द्वारा विपक्षी को रजिस्टर्ड पत्र मय जाँच रिपोर्ट प्रेषित करते हुये पत्र प्राप्ति के 30 दिवस के समय देते हुये नोटिस दिया गया, किन्तु नमूना लिये जाने वाली फर्म द्वारा जाँच रिपोर्ट के खण्डन में किसी भी प्रकार की अपील हेतु आवेदन नहीं किया गया जिससे प्रतीत होता है कि विपक्षी जाँच रिपोर्ट से संतुष्ट है ।

विपक्षी ने स्वयं उपस्थित होकर निवेदन किया कि उनके द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा लिया गया खाद्य नमूने का क्रय फेरी विक्रेता से किया गया था एवं फेरी विक्रेता द्वारा मौके पर क्रय बिल नही दिया गया था। बाद में फेरी विक्रेता को सेम्पल लेने की सूचना मिलने पर उसके द्वारा बिल नही दिया गया एवं फेरी विक्रेता ने मोबाईल भी बंद कर दिया। इस प्रकार फेरी विक्रेता ने धोखे में रखकर बाद में बिल की प्रति नही दी। इस कारण वह क्रय बिल प्रस्तुत नहीं कर सका। साथ ही विक्रेता ने निवेदन किया कि भविष्य मे उनके द्वारा इस प्रकार बिना क्रय बिल के कोई भी खाद्य पदार्थ का क्रय नहीं किया जायेगा। प्रथम गलती मानते हुए क्षमा करने की प्रार्थना की गई।

उभयपक्षों की बहस सुनी गयी । पत्रावली एवं दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। **खाद्य प्रयोगशाला अजमेर से जाँच रिर्पोट सं. L.S. 422/ACT/2016/472 दिनांक 04/08/2016 के अनुसार विक्रेता से वास्ते जाँच हेतु लिया गया खाद्य नमूना, सरसों का तेल (ब्राण्ड – पिंकसिटी एगमार्क) निर्धारित मानक कोटि का नहीं होने के कारण सबस्टेण्डर्ड (Substandard) होना पाया गया। प्राप्त जाँच रिपोर्ट के अनुसार पाया गया कि सरसों का तेल (ब्राण्ड – पिंकसिटी एगमार्क) मे Saponification Value जिसकी निर्धारित मात्रा 168 से 177 तक होनी चाहिए, उसके स्थान पर 180.82 पाई गई। इसलिए लिया गया नमूना सरसों का तेल (ब्राण्ड – पिंकसिटी एगमार्क) सबस्टेण्डर्ड होना पाया गया। इस प्रकार विपक्षी द्वारा सबस्टेण्डर्ड सरसों का तेल (ब्राण्ड – पिंकसिटी एगमार्क) को विक्रय कर एफएसएस की धारा 26 की उपधारा 2**

(ii) का उल्लघंन किया है। जिसका जुर्माना एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 51 में निर्धारित है। उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि विपक्षी श्री गिरीश कृपलानी पुत्र श्री रमेश कृपलानी विक्रेता/मालिक मैसर्स प्राची ऐजेन्सी, दुकान संख्या जी–6, इन्द्रा मार्केट,, भीलवाडा द्वारा सबस्टेण्डर्ड सरसों का तेल ब्राण्ड पिंक सीटी एगमार्क का विक्रय करने के लिये दोषी है । इस कृत्य के लिये उपरोक्त अधिनियम की धारा 51 में सबस्टेण्डर्ड पदार्थ पाये जाने पर शास्ति आरोपित किये जाने का प्रावधान किया हुआ है।

उपरोक्त प्रावधान को मध्येनजर रखते हुये विपक्षी को अर्थदण्ड से दण्डित किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः न्याय सिद्धान्त को दृष्टिगत रखते हुये खाद्य मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का विपक्षी द्वारा उल्लघंन करने एवं अपराध कारित होने के फलरूवरूप उक्त अधिनियम की धारा 51 के अन्तर्गत विपक्षी पर 50,000/–रूपये (अक्षरे पचास हजार रूपये) शास्ति आरोपित की जाती है। विपक्षी उपरोक्त शास्ति निर्णय दिनांक के 90 दिवस के अन्दर कैशियर जिला कलक्टर कार्यालय भीलवाडा में जमा करा कर रसीद प्राप्त करे।

निर्णय आज दिनांक 21.06.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

21/6/17

(एल0आर0गुगरवाल)

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं

अति0 जिला मजिस्ट्रेट भीलवाडा

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1. खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशक(जनस्वास्थ्य)चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं राजस्थान जयपुर
2. अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाडा
3. कैशियर, जिला कलक्टर कार्यालय भीलवाडा
4. श्री गिरीश कृपलानी पुत्र रमेश कृपलानी विक्रेता/मालिक,
   मैसर्स प्राची ऐजेन्सी, दुकान संख्या जी–6, इन्द्रा मार्केट, भीलवाडा (राज.)
   स्थाई पता : म0सं0 बी/328, हेमू कॉलोनी के पास, सिन्धुनगर, भीलवाडा

21/6/17

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं

अति0 जिला मजिस्ट्रेट

भीलवाडा